



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 607 राँची, मंगलवार,

08 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-115/2018-11554 (HRMS)-- श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 774/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अपर समाहर्ता, दुमका के विरुद्ध उपायुक्त, दुमका का पत्रांक-1729/गो0, दिनांक 16.08.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों का सार इस प्रकार है:-

आरोप सं0-1. दुमका-मंदार हिल नई रेलवे लाईन परियोजना के तहत वर्ष 2002-03 में मौजा-रसिकपुर जमाबंदी सं0-145 के दाग सं0-139, 148 एवं 160 का कुल रकबा-0.11.10 बीघा अर्जित भूमि का अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा नामांतरण वाद सं0-170/2015-16 द्वारा नामांतरण किया गया। नामांतरण की जाँच एवं दोषी पदाधिकारी/कर्मचारियों को चिन्हित करने संबंधी दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन लगभग तीन माह बीत जाने के बाद भी समर्पित नहीं करना।

आरोप सं0-2. उक्त मामले का जाँच प्रतिवेदन स्मार पत्र निर्गत करने के 14 दिनों के पश्चात् तथा मामला संज्ञान में आने के लगभग साढ़े तीन माह बाद पत्रांक-335/रा0, दिनांक 21.02.2018 द्वारा उपायुक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ।

आरोप सं0-3. उक्त मामले की जाँच स्वयं न कर अंचल अधिकारी, दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन को अग्रसारित कर खानापूर्ति करना।

आरोप सं0-4. उक्त मामले में वर्तमान अंचल अधिकारी, दुमका के प्रतिवेदन में तत्कालीन अंचल अमीन श्री हलधर मंडल को भी दोषी प्रतिवेदित किया गया था, किन्तु श्रीमती गुप्ता द्वारा श्री मंडल, तत्कालीन अंचल अमीन को बचाते हुए शेष दो कर्मियों को दोषी प्रतिवेदित करना एवं श्री मंडल के सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें भू-अर्जन के कार्यों के लिए पारिश्रमिक पर रखे जाने की अनुशंसा किया जाना।

आरोप सं0-5. उपायुक्त कार्यालय, दुमका के पत्रांक-403, दिनांक 28.02.2018 के द्वारा दुमका अंचल अन्तर्गत विभिन्न मौजों में रेल परियोजनाओं के लिए अर्जित की गई भूमि का नामांतरण एवं दोषी पदाधिकारी/कर्मियों को सात दिनों के अंदर चन्हित कर प्रतिवेदन देने संबंधी उपायुक्त, दुमका के आदेश की अवहेलना एवं इस संबंध में कई स्मार पत्र निर्गत किये जाने के उपरांत अपने पत्रांक-801/गो0, दिनांक 21.05.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करवाना।

आरोप सं0-6. दुमका जिला में ऑनलाईन म्यूटेशन के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करवाने में रुचि प्रदर्शित न करना।

आरोप सं0-7. विगत एक वर्ष में कोई भी अंचल या हल्का का निरीक्षण न करना। साथ ही, खनन टास्कफोर्स जैसे विषयों में न तो कोई कार्रवाई करना और न ही माननीय उच्च न्यायालय एवं विभाग द्वारा प्रदत्त लोक भूमि अतिक्रमण के मामलों के अनुपालन में गंभीरता दिखाना।

आरोप सं0-8. विभागीय निर्देशों के आलोक में समय-समय पर विभिन्न अंचल कार्यालयों/हल्कों का निरीक्षण हेतु कोई प्रयास नहीं किया जाना। अंचल/हल्का कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किये जाने से जिला में बेहतर कार्य संस्तुति विकसित होता।

जिला के वरीय पदाधिकारी होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदया, बासुकीनाथ श्रावणी मेला, हिजला मेला आदि कार्यक्रमों में भी वरीय पदाधिकारी के अनुरूप नेतृत्व प्रदान नहीं करना, अपितु पत्र में वर्णित आदेश के आलोक में कार्य के निष्पादन में भी खानापूर्ति करना। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपर समाहर्ता जैसे पद पर पदस्थापित वरीय अधिकारी को नेतृत्व क्षमता न प्रदान करना एवं unbeingness of an officer भी है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7420, दिनांक 03.10.2018 द्वारा श्रीमती गुप्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती गुप्ता के पत्रांक-1641, दिनांक 26.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती गुप्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1- आरोप सं0-1. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका का उपायुक्त, दुमका को प्रेषित पत्रांक-573/जि0भू0, दिनांक 07.11.2017 अपर समाहर्ता को मार्क करते हुए जिला राजस्व शाखा, दुमका को भेजा गया था, जो उन्हें दिनांक 09.11.2017 को प्राप्त हुआ। चूँकि यह शिकायत वर्ष 2002-03

में रेलवे के लिए अर्जित की गई भूमि को गलत तरीके से वर्ष 2015-16 में नामांतरण करने से संबंधित था, अतः शिकायत की जाँच के लिए नामांतरण हेतु गठित अभिलेख में संलग्न कागजात के आधार पर नामांतरण स्वीकृत करने वाले तत्कालीन अंचल अधिकारी एवं जाँच प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने वाले कर्मियों के नाम की माँग उनके पत्रांक-1778/रा0, दिनांक 13.11.2017 के द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका से किया गया। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर अंचल अधिकारी, दुमका को स्मार पत्र दिया गया। स्मार देने पर अंचल अधिकारी, दुमका के पत्रांक-173/रा0, दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया। इसके उपरांत कार्यालय पत्रांक- 335/रा0, दिनांक 21.02.2018 द्वारा उपायुक्त, दुमका को संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

2- आरोप सं0-2. अभिलेख एवं प्रतिवेदन भेजने के लिए अंचल अधिकारी, दुमका को कई बार मौखिक रूप से एवं उनके मोबाईल पर भी कहा गया था, लेकिन उनका कहना था कि यह अभिलेख मिल नहीं रहा है। अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा विलम्ब से अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जिस कारण जाँच प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब हुआ।

3-आरोप सं0-3. इस प्रकार की शिकायत की जाँच पहले नामांतरण वाद हेतु गठित अभिलेख में संलग्न कागजात के आधार पर किया जाता है। जब अभिलेख में संलग्न कागजात से ही स्पष्ट हो गया कि नामांतरण वाद सं0-170/2015-16 द्वारा वर्ष 2002-03 में रेलवे के लिए अर्जित की गई भूमि नामांतरण वर्ष 2015-16 में किया गया है, जो कि गलत है। ऐसी स्थिति में स्थल निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में इनके द्वारा कोई अशोभनीय कार्य नहीं किया गया है। अतः इनके उपर लगाये गये आरोप निराधार है।

4-आरोप सं0-4. श्री मोहन मिस्त्री के परिवाद पत्र पर जाँच हेतु इनके पत्रांक-1778/रा0, दिनांक 13.11.2017 द्वारा वर्तमान अंचल अधिकारी, दुमका से परिवाद पत्र में उल्लेखित नामांतरण वाद सं0-170/2015-16 को स्वीकृत करने वाले तत्कालिक अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी (हल्का कर्मचारी) एवं अमीन के नाम की माँग की गई थी, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, दुमका के पत्रांक-173/रा0, दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया। साथ ही, उनके द्वारा नामान्तरण वाद सं0-170/2015-16 से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति भी भेजा गया। अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा भेजे गये अभिलेख की जब समीक्षा की गयी तो पाया गया कि उसमें राजस्व कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित एक जाँच प्रतिवेदन एवं भूमि विवरणी के साथ एक ट्रेस नक्शा है। ट्रेस नक्शा पर जयराम मंडल का हस्ताक्षर पाया गया, न कि उस समय अंचल में पदस्थापित अमीन हलधर मंडल का। अभिलेख में उपलब्ध कागजात के आधार पर ही इनके द्वारा इस नामान्तरण को स्वीकृत करने वाले तत्कालिक अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार महतो एवं राजस्व कर्मचारी श्री सुधीर मरांडी को दोषी मानते हुए इस कार्यालय के पत्रांक-335/रा0, दिनांक 21.02.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, दुमका को भेजा गया। नामान्तरण वाद सं0-170/2015-

16 हेतु गठित अभिलेख में श्री हलधर मंडल के हस्ताक्षर से कोई कागजात नहीं होने के कारण दोषी व्यक्ति के रूप में उसके नाम का उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया।

श्री हलधर मंडल को सेवानिवृत्ति के पश्चात् भू-अर्जन के कार्यों के लिए पारिश्रमिक पर रखे जाने की अनुशंसा करने के संबंध में कहना है कि राजस्व विभाग की विभागीय बैठक में सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निदेश दिया गया था कि वैसे सेवानिवृत्त कर्मियों, जिनका सेवा संतोषप्रद रहा है और जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् कार्य करने के इच्छुक हैं, उनकी सूची विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि विभाग स्तर पर इनका समीक्षा कर इन कर्मियों को अनुबंध के आधार पर रखा जाय, जिससे क्षेत्र स्तर पर कर्मियों की कमी के कारण कार्य प्रभावित न हो। इस हेतु विभागीय पत्रांक-3939(3)/रा0 दि0 14.07.2016 द्वारा निदेश प्राप्त हुआ था, जिसके अनुपालन हेतु वैसे सेवानिवृत्त अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी एवं अमीन, जिसके सेवापुस्त में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं था और जो कार्य करने के इच्छुक थे, उनकी सहमति लेकर कुल 08 (आठ) सेवानिवृत्त कर्मियों की सूची इस कार्यालय के पत्रांक-1199/रा0 दि0 23.08.2016 द्वारा तत्कालिक उपायुक्त द्वारा विभाग को भेजा गया, जिसमें हलधर मंडल का भी नाम था। राजस्व विभाग को भेजे गये प्रतिवेदन के आलोक में संयुक्त, सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3919(3)/रा0, दिनांक 27.07.2017 के द्वारा कुल 06 (छः) सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4569, दिनांक 05.07.2002 एवं संकल्प सं0-1243/वि0, दिनांक 28.04.2016 के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त हुआ। विभाग से प्राप्त इस सूची के क्रमांक-05 पर श्री हलधर मंडल का नाम दर्ज था। इस पत्र के पूर्व सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5621(3)/रा0, दिनांक 23.11.2017 के द्वारा भी सेवानिवृत्त राजस्व कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का निदेश प्राप्त हुआ था। पत्रांक-3919(3)/रा0 दि0 27.07.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में ही इन सभी 06 (छः) सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियुक्त करने के लिए संचिका उपस्थापित की गई।

विभागीय निदेश के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर रखने का मामला वर्ष 2016 से चल रहा था और उस समय तक श्री मोहन मिस्त्री का परिवाद पत्र पर अंचल अधिकारी, दुमका का प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा, दुमका को प्राप्त नहीं हुआ था और न ही श्री हलधर मंडल के सेवापुस्त में कोई प्रतिकूल टिप्पणी थी। अतः श्री हलधर मंडल को नामान्तरण के आरोप से बचाने एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात् संविदा पर रखने हेतु आपराधिक षडयंत्र करने से संबंधी लगाया गया आरोप निराधार, मनगढ़ंत एवं दुर्भावना से प्रेरित है।

5-आरोप सं0-5. चूँकि नामान्तरण का कार्य अंचल अधिकारी द्वारा किया जाता है और इससे संबंधित अभिलेख भी संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में संधारित किया जाता है। अतः इस कार्यालय के पत्रांक-443/रा0, दिनांक 09.03.2018 द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका से दुमका-मंदार हिल बड़ी रेल लाईन परियोजना के तहत अर्जन की गई भूमि का अवैध रूप से नामान्तरण किये जाने का प्रतिवेदन

की मांग की गई, जिसके अनुपालन में श्री विशाल सागर (भा0प्र0से0), अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नामान्तरण-170/2015-16 द्वारा मौजा रसिकपुर के खाता सं0-145 के दाग सं0-139, 148, 160 कुल रकबा-6-6-8 का नामान्तरण किये जाने के अतिरिक्त रेलवे के लिए अर्जित की गई मौजा बाबुपुर, बलिया, हथियापाथर, हरिपुर, श्रीरामपुर, कुरूवाचक रघुनाथगंज एवं सोनुवाडंगाल में अर्जित भूमि का नामान्तरण नहीं किया गया है। चूँकि मामला अभिलेख संधारण एवं रजिस्टर-11 पंजी से संबंधित था, जिसका संधारण अंचल अधिकारी एवं हल्का कर्मचारी के द्वारा किया जाता है और कोई नामान्तरण अभिलेख या पंजी-11 यदि उनके द्वारा जांच हेतु उपस्थापित नहीं किया जाता है तो इसके लिए जबाबदेह ठहराए जा सके। अतः अंचल अधिकारी, दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रतिवेदन भेजा गया।

6-आरोप सं0-6. ऑन लाईन म्युटेशन में शिथिलता बरतने के आलोक में उपायुक्त के पत्रांक-975/रा0, दिनांक 19.05.2018 के द्वारा इनसे स्पष्टीकरण किया गया था, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-819/रा0, दिनांक 24.05.2018 के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया। स्पष्टीकरण में इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जब से यहाँ ऑन लाईन म्युटेशन प्रारंभ किया गया है, तब से सभी अंचल अधिकारी के द्वारा तकनीकी त्रुटि के कारण म्युटेशन नहीं होने का प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। चूँकि तकनीकी त्रुटि का निराकरण जिला राजस्व शाखा में कार्यरत डी0पी0एम0यू0 के द्वारा नहीं हो पा रहा था। अतः इसके निराकरण हेतु कई पत्र निदेशक, भू-अर्जन एवं परिमाण निदेशालय, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को लिखा गया, जिसकी प्रतिलिपि श्री लोकेश, वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, झारखण्ड, राँची को भी दी गई। यहाँ तक कि समय-समय पर विभागीय बैठक में भी इस त्रुटि के बारे में भी मामला रखी। दिनांक 30.06.2018 को संचालपरगना प्रमंडल के सभी अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारियों एवं कम्प्यूटर के साथ निदेशक, भू-अर्जन एवं परिमाण निदेशालय द्वारा दुमका में एक बैठक आहूत किया गया था। उक्त बैठक में भी संचालपरगना से आये सभी अंचल अधिकारी एवं अपर समाहर्ता द्वारा तकनीकी त्रुटि के कारण कई म्युटेशन नहीं होने के संबंध में जानकारी दी गई। तकनीकी रूप से आ रही त्रुटि की जानकारी उपायुक्त महोदय को भी इनके द्वारा दी गई है, जिसके आलोक में उनके स्तर से पत्रांक-1800/रा0 दि0 20.11.2017 द्वारा विभाग को त्रुटि निराकरण हेतु पत्र भेजा गया। इसके अतिरिक्त इनके आदेशानुसार डी0पी0एम0यू0 द्वारा भी एन0आई0सी0, राँची एवं विभाग स्तर पर कार्यरत एस0पी0एम0यू0 को मेल के माध्यम से त्रुटि निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है। साप्ताहिक बैठक एवं पत्र के माध्यम से भी सभी अंचल अधिकारियों को नामान्तरण से संबंधित मामलों को ससमय निष्पादित करने का निदेश इनके द्वारा दिया गया। म्युटेशन में आ रही त्रुटि निराकरण एवं अंचल अधिकारियों को भेजे गये पत्र साक्ष्य के तौर पर संलग्न कर रही हूँ। सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए मैं सतत प्रयासरत रही हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि म्युटेशन वाद निष्पादन के संबंध

में इनके द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। अतः इनके ऊपर लगाया गया आरोप निराधार एवं दुर्भावना से ग्रसित है।

7-आरोप सं0-7. खनन टास्क फोर्स के लिए अपर समाहर्ता को उपायुक्त के स्तर से छापामारी करने के लिए आज तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-1784/गो0, दिनांक 22.08.2018 के द्वारा 1. श्री विद्याभूषण कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका, 2. प्रभारी खनन पदाधिकारी, 3. अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा एवं 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा को शामिल किया गया है। खनन से संबंधित कोई भी संचिका राजस्व शाखा के माध्यम से निष्पादित नहीं की जाती है और न ही अवैध खनन से संबंधी कोई भी शिकायत अपर समाहर्ता को प्राप्त होता है। पब्लिक लैंड इनक्राँचमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के संबंध में कहना है कि द झारखण्ड पब्लिक लैंड इनक्राँचमेंट एक्ट, 2002 के अनुसार केवल अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए शक्ति प्रदत्त की गई है। अपर समाहर्ता इस संबंध में अपीलार्थी प्राधिकारी है। अंचल अधिकारी के साप्ताहिक बैठक में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उन्हें आदेश इनके द्वारा दिया जाता रहा है और इसके अनुसार अंचल अधिकारी द्वारा कार्रवाई भी की जाती है।

8-आरोप सं0-8. ये राजस्व विभाग से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन ससमय करती आ रही है। राजस्व विभाग के अतिरिक्त जिला भू-अर्जन कार्यालय, जिला विधि शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला नजारत शाखा एवं आपदा प्रबंधन शाखा के वरीय प्रभार में हैं। इसके अतिरिक्त जन संवाद के नोडल पदाधिकारी हैं। उपायुक्त के स्तर से सूचना अधिकारी के तहत प्राप्त अपील आवेदन की सुनवाई हेतु इनको प्राधिकृत किया गया है। उपायुक्त के स्तर से निर्गत किये जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्र को निर्गत करने का आदेश इन्हें ही दिया गया है। हर सप्ताह के सोमवार को अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक का बैठक करना, राजस्व न्यायालय का कार्य करना, इसके अतिरिक्त उपायुक्त, दुमका के आदेश से प्राप्त अब तक कुल 53 शिकायत का जांच कर जांच प्रतिवेदन दिया गया है। विभिन्न समय में विधि व्यवस्था का कार्य तथा राजस्व के अतिरिक्त अन्य कार्य जैसे-पार्क कर रखी गई राशि को कोषागार में जमा करने का दायित्व, जामा प्रखंड के वरीय पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के कारण कार्यभार के कारण श्रीमती गुप्ता विधिवत् रूप से जामा अंचल के एक हल्का का एवं रामगढ़ अंचल का निरीक्षण कर पाई है। हर माह उपायुक्त के स्तर से आंतरिक संसाधन की बैठक इनके द्वारा ही की जाती है। वर्तमान उपायुक्त द्वारा उनके पदस्थापन अवधि में अभी तक मात्र दो माह का ही बैठक किया गया है। उपायुक्त महोदय द्वारा इन्हें वैसे VC में उपस्थित रहने का आदेश दे दिया जाता है, जो इनके कार्यक्षेत्र से संबंधित नहीं है, जैसे-पोषण अभियान और नीति आयोग से संबंधित VC। अचानक ही इन्हें इन VC में या जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आहूत बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दे दिया जाता है, जिस कारण समय अभाव के कारण ये विधिवत् सभी अंचल कार्यालय का निरीक्षण नहीं कर पायीं। केन्द्रीय विद्यालय, दुमका से संबंधित कार्यों के निष्पादित करने का भी इन्हें ही आदेश दिया गया है। उपायुक्त की अनुपस्थिति में रूटीन कार्य करने का आदेश कई बार मौखिक

एवं लिखित रूप से मिला है। साथ ही प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को जनता दरबार में आये व्यक्तियों से मिलकर उनके समस्याओं का निदान करने का भी दायित्व उपायुक्त के अनुपस्थिति में इन्हें ही करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदया, बासुकीनाथ श्रावणी मेला में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी इयूटी निष्पादित की गई है। माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार का दुमका आगमन, माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड एवं महामहिम राज्यपाल महोदया का दुमका आगमन पर हर बार इन्हें इयूटी दी गई है और अपने दायित्व को इनके द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है। यदि इनके द्वारा इयूटी नहीं की गई है तो इसके लिए इन्हें कारण पृच्छा करके साक्ष्य के तौर पर आरोप के साथ लगाना चाहिए था, जो नहीं संलग्न किया गया है। हिजला मेला का सम्पूर्ण कार्य अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। उनके कार्य का अनुश्रवण इनके द्वारा किया जाता है। श्रावणी मेला, 2018 में प्रत्येक रविवार को प्रातः 4.00 बजे से एवं गुरुवार 10.00 बजे मेला इयूटी मिला था और दिनांक 21.08.2018 को मंगलवार को भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त इयूटी मिला था। भादो मेला में भी दिनांक 03.09.2018 को इयूटी मिला था। सभी दिन ये मेला में उपस्थित रहकर विधि व्यवस्था का कार्य की हैं। सुलभ प्रसंग हेतु श्रावणी मेला, 2018 में वरीय दण्डाधिकारियों के लिए संधारित उपस्थिति पंजी की छायाप्रति संलग्न कर रही हूँ। श्रावणी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में साफ-सफाई के लिए नगर पंचायत बासुकीनाथ के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य सफाई कर्मियों के साथ की। कनीय पदाधिकारी को ये हमेशा मार्गदर्शन करती रही हैं। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर्तव्यों का निर्वहन इनके द्वारा हमेशा किया गया है। अतः नेतृत्व प्रदान नहीं करने का लगाया गया आरोप निराधार है।

श्रीमती गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8987, दिनांक 11.12.2018 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक- 123/स्था0, दिनांक 27.05.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा निम्नांकित मंतव्य दिया गया है-

“श्रीमती गुप्ता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के संदर्भ में श्रीमती गुप्ता को कार्यों के निर्वहन के प्रति भविष्य में अधिक सचेष्ट रहने के निर्देश के बिन्दु पर विचार किया जा सकता है।”

श्रीमती गुप्ता के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि-

1. तीन माह से अधिक अवधि के बाद जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने का आरोप सत्य प्रतीत होता है। चूँकि मामला पूर्व में अर्जित भूमि के नामान्तरण एवं दुमका सदर अंचल से संबंधित था, इसलिए मामले की गंभीरता के आलोक में अंचल अधिकारी, दुमका से पत्राचार करने के स्थान पर वे अंचल कार्यालय, दुमका जाकर मामले की जांच कर प्रतिवेदन उपायुक्त, दुमका को शीघ्र प्रेषित कर सकती थीं।

2. उक्त मामले से संबंधित जांच प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के लगभग साढ़े तीन माह बाद उपायुक्त, दुमका को प्रेषित करने संबंधी आरोप सत्य प्रतीत होता है। किन्तु श्रीमती गुप्ता द्वारा अपने पत्रांक- 335/रा0, दिनांक 21.02.2018 के द्वारा उपायुक्त, दुमका को संबंधित जांच प्रतिवेदन उनके गोपनीय

शाखा में उसी दिन प्राप्त कराया गया है, जो उपायुक्त, दुमका के गोपनीय शाखा के प्राप्ति रसीद से स्पष्ट है।

3. स्थल निरीक्षण के संबंध में श्रीमती गुप्ता का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है, किन्तु मामले की गंभीरता के आलोक में उन्हें अंचल अधिकारी, दुमका से पत्राचार करने के स्थान पर स्वयं अंचल कार्यालय, दुमका जाकर मामले की तत्परता से जांच की जानी चाहिए थी।

4. उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-403, दिनांक 28.02.2018 द्वारा अपर समाहर्ता दुमका से दुमका अंचल अंतर्गत विभिन्न मौजों में रेल परियोजना के लिए अर्जित भूमि को विभिन्न व्यक्तियों के साथ किये गये नामान्तरण संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई थी एवं इस हेतु उपायुक्त के गोपनीय शाखा से पत्रांक-701/गो0 दि0 12.04.2018 एवं पत्रांक-867/गो0 दि0 05.05.2018 द्वारा निर्गत स्मार पत्र के उपरान्त श्रीमती गुप्ता द्वारा अपने पत्रांक-801 दि0 21.05.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया गया। चूँकि मामला दुमका सदर अंचल से संबंधित था, इसलिए श्रीमती गुप्ता को अंचल अधिकारी, दुमका से पत्राचार न कर स्वयं सदर अंचल में जाकर संबंधित अभिलेख की जांच कर प्रतिवेदन शीघ्र उपायुक्त, दुमका को उपलब्ध करवाना चाहिए था।

5. यह सही है कि झारखण्ड पब्लिक लैंड इनक्राॅचमेंट एक्ट के अन्तर्गत अंचल अधिकारियों को समाहर्ता की शक्ति प्रदान की गई है, किन्तु अपर समाहर्ता के स्तर पर आयोजित मासिक बैठकों में अंचलवार अतिक्रमणवादों की समीक्षा की जानी चाहिए थी।

6. श्रीमती गुप्ता पर रेल परियोजना हेतु अर्जित भूमि का नामान्तरण संबंधी प्रतिवेदन उपायुक्त, दुमका को विलंब से प्रेषित करने का आरोप प्रमाणित होता है।

अतः, समीक्षोपरांत, श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	INDU GUPTA BHR/BAS/3437	श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा0प्र0से0, तत्कालीन अपर समाहर्ता, दुमका के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
